R.M.M. Law College.
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Teacher
Saharsa

प्रश्नकार अपने साक्षियों को किस क्रम से पेश करेंगे और उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा यह धारा के अनुसार सिविल एवं दण्ड प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा विनियमित होगा।

आपराधिक मामलों में सर्वदा अभियोजन ही साक्ष्य प्रारम्भ करता है। किन्तु सिविल मामलों में साक्षियों के परीक्षा का क्रम सामान्यतः वाद में किए गए अभिवचनों पर निर्भर होता है। अभिवचनों पक्षकारों की परीक्षा एवं दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के आधार पर विवाद्यक विरचना के ही सहारे यह अवधारित किया जाता है कि किस पक्षकार को साक्ष्य प्रारम्भ करना होगा।

साधारण ऐसे नियम यह है कि वादी ही अपना साक्ष्य पहले देता है, किन्तु मामले के अभिवचन ऐसे हो सकते हैं कि साक्ष्य प्रारम्भ करने का अधिकार प्रतिवादी को हो। यदि प्रतिवादी द्वारा प्राख्यात तथ्यों को स्वीकार कर लेता है और प्रतिवादी के कुछ अन्य तथ्यों को प्राख्यात करते हुए वह कहता है कि अपने फलस्वरूप वादी मांगे गए अनुतोष

का हकदार नहीं है तो साक्ष्य प्रारम्भ करने का अधिकार प्रतिवादी को होगा

किन दशाओं में अधिकार वादी को तथा किन दशाओं में प्रतिवादी को होगा इसके लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के के विशिष्ट नियमों को देखना चाहिए।

साक्षी किस क्रम में पेश किये जाय इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नियम या प्रावधान नहीं है। अतः पक्षकार अपने विवेक से ही यह निश्चय करता है कि उसके गवाह किस क्रम से पेश किये जायेंगे। न्यायालय आमतौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं करता किन्तु जहाँ कि यह धारा वारित करती है न्यायालय को हस्तक्षेप करने का या आदेश देने का अधिकार है कि गवाहों के पेशकार का क्रम क्या हो।

पक्षकार स्वयं गवाह — जहाँ तक किसी पक्षकार के निजी ज्ञान में किसी पक्षकार के निजी ज्ञान में है उसको स्वयं ही उसके विषय में उसको स्वयं ही साक्ष्य देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके मामलों की क्षति का भय रहता है।

पक्षपात का आधिक्य

अतः किसी पक्षकार के लिये आवश्यक नहीं कि प्रतिपक्षी को अपने गवाह के रूप में पेश करे ऐसा करना उसके लिये लाभप्रद भी नहीं होता।

पेज (3)

क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो
~~प्रति~~ प्रतिपक्षी का प्रतिसाक्ष्य उसी के
~~कुछ~~ साक्ष्य का अंश बन जाता है।
किन्तु यदि एक पक्षकार प्रतिपक्षी
को पेश करना ही चाहता है तो उचित
यही है कि उसे साक्षियों को ~~एक~~ एक
पेश करने बाद पेश करें।
इस विषय में एक परिपाटी
विधिक नियम या पद्धति नहीं है।
अतः पक्षकार अपने विवेक से ही यह
तय करता है कि गवाह किस क्रम
में पेश किये जाय। न्यायालय
साधारणतः पर इस बात पर हस्तक्षेप
नहीं करता। किन्तु न्यायालय को
यह अधिकार है कि गवाहों को पेश
करने का क्रम क्या हो। पक्षकार
कौन ~~से~~ से ही उनके विरुद्ध
स्वयं अतिसाक्ष्य देखता है।